बिहार सरकार
उद्योग विभाग

आदेश

विभागीय संकल्प सं0–346 दिनांक 17–01–19 द्वारा विभाग के (निगम/बोर्ड/प्राधिकार सहित) सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को पद–बल सहित संबंधित महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र के नियंत्राधीन किया गया है तथा इनके वेतनादि एवं अन्य की निकासी हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र को अधिकृत किया गया है।

वित्तीय वर्ष की समाप्ति के क्रम में जिलाा उद्योग केन्द्र में समाहित क्षेत्रीय कार्यालयों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को निर्गत स्वीकृत्यादेश/आवंटनादेश के कार्यान्वयन में हो रही कठिनाईयों के दृष्टिगत प्रसंगाधीन संकल्प के आलोक में जिला उद्योग केन्द्रों में समाहित कार्यालयों के पूर्व के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को स्वीकृत राशि की निकासी करने हेतु अधिकृत किया जाता है। यह व्यवस्था वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018–19 तक हीं प्रभावी होगी। इसके बाद विभागीय संकल्प सं0–346 दिनांक 17–01–19 स्वतः प्रभावी रहेगा। विभागीय संकल्प सं0–346 दिनांक 17–01–19 इस हद तक संशोधित किया जाता है।

प्रस्ताव में प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
(अनिल कुमार झा)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः– पटना, दिनांकः–
3(स०)/उ०स्था०(विविध)01/19

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः– पटना, दिनांकः–

प्रतिलिपिः–सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–प्रबंध निदेशक, बियाडा/आयडा/बिसिको/बी0एस0आई0डी0सी0/बि0रा0 वित्तीय निगम/वस्त्र निगम/औषधि एवं रसायन निगम/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बि0रा0 खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–उद्योग निदेशक/निदेशक हस्तकरघा एवं रेशम/निदेशक तकनीकी विकास/निदेशक खाद्य प्रसंस्करण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सभी अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि इस आदेश के आलोक में कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

सभी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र की यह व्यक्तिगत जवाबदेही होगी कि इस आदेश में निहित निदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

ह0/–
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः– 1140 पटना, दिनांकः– 23-2-19

प्रतिलिपिः–आई0टी मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

D:\Section-3\Pramod\Pramod-1.doc